न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
II/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4267
प्रकरण क्रमांक /२०१७- निगरानी

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम दत्तक पुत्र श्री संत-राम रामकली, निवासी ग्राम इकौना, तेहसील-इन्दरगढ़ जिला दतिया -हाल निवासी दतिया - मध्यप्रदेश ।

---- प्रार्थी

श्री ... 12-9-17 को
12-9-17
CR 22.09.17

विरुध्द

१- प्रशान्त पुत्र सुरेन्द्र श्रीवास्तव, निवासी ग्राम इकौना, तेहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया-म०प्र०
२- निशान्त पुत्र सुरेन्द्र श्रीवास्तव निवासी ग्राम वरगांय, तेहसील बड़ोनी, जिला दतिया-म०प्र०।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय दतिया, दिनांक ३१-०७-१७ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १६०/अ-६/२०१५-१६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिये जाने से इंकार किये जाने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है ।

४- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश न होने से निरस्ती योग्य है ।

क्रमशः- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक प्र0क्र0 दो–निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 3267

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार दतिया के प्रकरण क्रमांक 160/15-16 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5-8-17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण की प्रचलनशीलता पर विचार करने पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं रही है। तद्नुसार निगरानी कलेक्टर जिला दतिया की ओर निराकरण हेतु अंतरित की जाती है। आवेदक कलेक्टर दतियाके न्यायालय में 26-12-18 को उपस्थित होवें। सदस्य	